## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या: 05-परीक्षा/2019

#### वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – 18-07-2019 ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 18-07-2019 परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 08-08-2019 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि – 16-08-2019

विशेष कथन- उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 08-08-2019 तक है I इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी I आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता I अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 08-08-2019 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अन्दर अर्थात 16-08-2019 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए I इस अविध में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered Mobile Number, Email, कैटेगरी को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है I

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 05-परीक्षा/2019 द्वारा विज्ञापित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के क्रमशः 596 एवं 59 पदों वेतन बैण्ड-5200 से 20200, ग्रेड पे-1900 के सदृश्य वेतन बैण्ड मैट्रिक्स लेवल-02 में रिक्त कुल 655 पदों, जिनका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण आगे बिंदु-03 की सारणी-01 में दिया गया है, पर ऑफलाइन/ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है । उक्त दोनों पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबिमट करना है ।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना – इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें-

### (अ)- आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है -

- 1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
- 2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड(Photo and Signature Upload) करना
- 3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)
- 5- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

### नोट - अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट <a href="http://upsssc.gov.in">http://upsssc.gov.in</a> पर "ऑल नोटीफिकेशन/ एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा । अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली –भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यता एवं पद हेतु विहित शारीरिक स्वस्थता व न्यूनतम शारीरिक मानक तथा निर्धारित आयु सीमा (18 से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं । तदोपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें । User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिए गए हैं । अतः लिखितअभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्न User Instructions अवश्य पढ़ें:-

## आवेदन की प्रक्रिया – (User Instructions)

#### भाग-1- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

- इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।
- II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पित का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, इमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
- III. वेब पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" बटन पर क्लिक करें। फार्म सबिमट होते ही दूसरे पृष्ठ पर "रिजिस्ट्रेशन स्लिप" प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रिजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सिहत होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रिजिस्ट्रेशन के समय रिजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत "Print Duplicate Registration Slip" बटन पर क्लिक कर रिजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।

# भाग-2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload) अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिये।
- ॥. ठुड़ी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V. कैमरे पर नजर सीधी हो ।
- VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द)।
- VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII. फोटो का आकार 35 मिमी (1.4 इंच) x 45 मिमी (1.75 इंच) का होना चाहिये । जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो ।
- IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी अपना 3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ \*.jpe,\*.jpeg,\*.jpg,\* प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05Kb तथा अधिकतम आकार 30Kb से कम होना चाहिए तथा हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा होना चाहिए।

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद "Continue" बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

#### भाग- -3 फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा।
 इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

#### घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भो की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। यदि पूरित आंकड़ो में कोई संशोधन चाहते हैं तो "बैक" बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो सबिमट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकडो को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगें।

नोट – यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

# भाग- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबिमशन (Fee Payment & Submit Application Form)

- (I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ Proceed To Download and print The Application Form बटन को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।
- (II) ई—चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।
- (III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा-करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- (IV) अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

विशेष नोट – अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

(आवेदन शुल्क) – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग-4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है-

क्र॰ सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग ( आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क )
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन हेतु	THE TOTAL AND AND	25.00	25.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

# भाग-5 - फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट कर ले। उसके बाद अर्थात एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें।

## 2 -आवेदन पत्र में संशोधन

(I) अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबिमेट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है I इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Modify Submitted Application पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से

उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email, कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

- (II) अभ्यर्थी ने जितने पदों के लिए आवेदन किया है सिर्फ उतने पद में ही संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के उपरांत पदों की संख्या घटा/बढ़ा नहीं सकता है।
- (III) अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।
- (IV) आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 16-08-2019 तक ही अनुमन्य है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 से सम्बंधित विभाग में रिक्त वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के कुल 655 रिक्त पदों का विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन में दी गयी सूचना के आधार पर पदवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-

#### सारिणी-1

	·				पदों की	संख्या	***************************************	****	
विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2019 को आयु (न्यूनतम- अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वन रक्षक	5200- 20200 ग्रेड पे-1900/-	40.40	370	83	11	132	596	स्थायी
और विभागध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।	वन्य जीव रक्षक	के सापेक्ष पे मैट्रिक्स लेवल-2	18-40	45	10	02	02	59	स्थायी
				कुल प	द			655	

## टिप्पणी-

- 1- उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख श्रेणीवार पदों की संख्या, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई श्रेणीवार (अनारक्षित/आरक्षित) रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 2- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लिखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों (EWSs) को एतद सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-॥, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के अनुसार अनुमन्य किये गए 10% आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है।
- 3- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों (EWSs) को, एतद सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी०सी०-॥, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित

व्यवस्था का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में जारी किये जाने वाले शासनादेशों के अनुसार, उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष 10% आरक्षण (EWSs को) अनुमन्य किया जायेगा।

- 4- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित समस्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी बिन्दु-4 में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक पदों हेतु विहित अनिवार्य अहर्ताएं (शैक्षिक) व अन्य अवश्य पढ़ लें तथा ये सुनिश्चित कर ले कि वे पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य, पद हेतु शारीरिक स्वस्थता सम्बन्धी मानकों को धारित करते है तथा निर्धारित आयु सीमा जिसका उल्लेख आगे बिन्दु-05 में किया गया है, के अंतर्गत आते हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- 5- उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित एवं विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- 6- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद समाज के विकलांगजन हेतु चिन्हांकित नहीं है।
- 7- अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदित पद को टिक (Select) करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों अध्यादेशों /शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 9- उपर्युक्त सारणी में अंकित विभागों व रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

### क्षैतिज आरक्षण का विवरण -

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-

#### <u>सारिणी-2</u>

क्र॰ सं॰	विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
1-	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष	वन रक्षक	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	11
			(ii)- महिला	119
			(iii)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	29
2-		वन्य जीव रक्षक	(i)- स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	01
			(ii)- महिला	11
			(iii)- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक	02

नोट- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवानियमावली, 2015के भाग तीन भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे । चूँिक विकलांग कल्याण विभाग द्वारा चिन्हांकित नहीं है।

विशेष टिप्पणी - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs) को आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु-

(1)- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे (EWSs) अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर राज्य के ही मूल निवासी है, को

कार्मिक अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी॰सी॰-॥, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु- 04 (क) एवं (ख) में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ बिन्दु- 4 (ख) (i) में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते है और विहित शर्तें पूरी करते है, को वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के प्रश्नगत रिक्त पदों पर 10% आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 प्रतिशत आरक्षण का दावा करते है और वे एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के बिन्दु- 04 (ख) (i) के अंतर्गत पात्र/अर्ह है, को बिन्दु- 04 (ख) (III) में विहित व्यवस्था के अनुसार "परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी /प्रमाणित प्रमाण-पत्र , जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्थायों के नियमानुसार अनुपालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, को इन पदों पर भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश शासन का उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 (URLhttp:/shasnadesh.up.nic.in/GO/ViewGOPDF\_list\_user.aspx?id1=MSMxNjMj MiMyMDE5) पर उपलब्ध है I

4 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) - उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) तथा अधिमानी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है-

#### (1)- अनिवार्य अर्हता - (शैक्षिक)

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो ।

- (2)- अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा- जिसने ,
  - (1)- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,
  - (2)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो अथवा,
  - (3)- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या ,
  - (4)- किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो ।
- 5 (1)- <u>आयु सीमा</u> वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के प्रश्नगत सभी पदों पर भर्ती हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जुलाई, 2019 है । उक्त तिथि 01 जुलाई, 2019 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2001 के बाद न हुआ हो ।
  - (2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाडियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

- (3) भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2019 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवावधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणाम स्वरुप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो । भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 17/1/82-कार्मिक-2, दिनांक- 03 अक्टूबर, 1990 में विहित "भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा" के अंतर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है।
- 6- आरक्षण- (i)- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
  - (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) (EWSs) के लिए आरक्षण-
    - (1)- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSs) के ऐसे अभ्यर्थी जो अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को कार्मिक अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी॰सी॰-॥, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु-04 (क) व (ख) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बिन्दु-4 (ख) (1) में निर्धारित मानक के अंतर्गत आते है और विहित शर्तें पूरी करते है तो वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के रिक्त पदों (राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों) पर 10% आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।
    - (2)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 प्रतिशत आरक्षण का दावा करते है और वे एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18 फरवरी, 2019 के बिन्दु- 04 (ख) (i) के अंतर्गत आते है, को बिन्दु- 04 (ख) (III) में विहित व्यवस्था के अनुसार "परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी /प्रमाणित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
    - (3)- उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-18 फरवरी, 2019 में विहित व्यवस्थायों के नियमानुसार अनुपालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, उसे प्रश्नगत पदों पर भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया जायेगा।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरिक्षत श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करने होंगे।

#### 7- परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

(i) यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की

जाती है तो Normalization की प्रक्रिया लागू की जा सकती है । इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

- (ii) Normalization की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा०अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है।
- 8- शारीरिक स्वस्थता- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । उसकी शारीरिक माप नीचे दिये गए मानकों के अनुरूप हो:-

#### (अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता के मानक में सम्मिलित ऊंचाई वजन और सीने की माप)

	पुरुष		महिला	
ऊंचाई	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	168 सेन्टीमीटर न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	152 सेन्टीमीटर न्यूनतम 147
	के लिए न्यूनतम ऊंचाई	न्यूनतम	के लिए न्यूनतम ऊंचाई	सेन्टीमीटर न्यूनतम
सीना	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना	84 सेन्टीमीटर न्यूनतम	वजन 45 से 58 किलोग्राम	
सीना	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	82 सेन्टीमीटर		
फुलाने के	के लिए फुलाने पर सीना	न्यूनतम		
पश्चात				

## नोट- उपर्युक्त सारणी में सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेंशियल हैंड बुक, खंड-2 भाग-3 के अध्याय में दिये गए फंडामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

- 8 (1)- चयन की प्रक्रिया- वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक पदों पर चयन (क) लिखित परीक्षा, (ख) शारीरिक मानक परीक्षा, (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं (घ) चिकित्सीय परीक्षा पर आधारित होगी, जो निम्नवत है-
  - (ख) शारीरिक मानक परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गए हो, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी-

शारीरिक मानक परीक्षा संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- 1- सम्बंधित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक,
- 2- चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,

#### 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक।

्पुलिस एवं महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक स्वस्थ्यता के न्यूनतम शारीरिक मानक में सम्मिलित ऊँचाई,

वजन और सीने की माप निम्न सारणी के अनसार अपेक्षित है-

2. 7

	पुरुष		महिला	
ऊंचाई	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेन्टीमीटर न्यूनतम	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	152 सेन्टीमीटर न्यूनतम 147 सेन्टीमीटर न्यूनतम
सीना	सामान्य/अ०पि०वर्ग/अनु० जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना	84 सेन्टीमीटर न्यूनतम	वजन 45 से 58 किलोग्राम	
सीना फुलाने के पश्चात	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर सीना	82 सेन्टीमीटर न्यूनतम		

# टिप्पणी- (i)- उपर्युक्त सारणी में सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

- (ii)- जहां कही भी परीक्षण आयोजित किया जाय, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
- (iii)- शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाए।
- (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हो, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी:-
  - (च) पुरुष अभ्यर्थियों से 10 कि०ग्रा० का भार लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है।
  - (छ) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जाएगा।
  - (ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहां तक संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा।
  - (झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और जहां तक संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा।
  - (ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के पदाभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जाएगी।
- (ग-1)- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा का संचालन तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-
  - सम्बंधित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक.

- 2- चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक।
- (घ) चिकित्सा परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो , चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो निम्नवत होगी-
- (क)- जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनिधक) इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि उसमे चिकित्सीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सूचना पट्ट पर जहां कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किया जाए, अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की किमयों, यथा- नाक-नी, बो- लेग्स, फ्लैट- फीट, वैरिकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रिनीज़ टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है।

- (ख)- चिकित्सीय परीक्षा मात्र अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।
- 9- <u>चयन का आधार लिखित परीक्षा</u> (ऑफलाइन/ऑनलाइन)- आयोग वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन भी करा सकता है।

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019 के अंतर्गत विज्ञापित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015 दिनांक 11 मई, 2015 और कार्मिक अनुभाग—2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—04 /2017/1/1/2017-का-2 दिनांक 31.08.2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली 2017 के अनुसार लिखित परीक्षा (ऑनलाइन/ऑफलाइन) एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवानियमावली-2015 में उल्लिखित शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जायेगा।

### 10- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

- 1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 3- अनुस्चित जाति, अनुस्चित जन जाति, अन्य पिछुड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 4- वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

- 5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- 6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- 7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- 8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- 9- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा । प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
- 10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 13- <u>आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-3 की सारणी- 1 में उल्लिखित पदों के हेतु बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित अर्हता ही स्वीकार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता विचारण के अंतर्गत मान्य नहीं होंगी।</u>
- 14-उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र०स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
- 15-राज्याधीन सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को कार्मिक-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 18/11/1999/का-2/1999, दिनांक- 26 फरवरी, 1999 द्वारा प्रदत्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। महिला आरक्षण के अंतर्गत चयनित उत्तर

- प्रदेश राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक- 26 फरवरी, 1999 एवं तदानुक्रम में जारी अन्य शासनादेशों में विहित निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
- 16-आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सारिणी -1 में उल्लिखित पद के सापेक्ष बिन्दु-4 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए । अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे है उसके लिए वे विज्ञापन में दी गयी योग्यता धारित करते हैं, तब ही आवेदन करें।
- 17- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि ) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 18.02.2019 में विहित शर्तों को पूरा करते है, तो उन्हें 10% आरक्षण (E.W.Ss) अनुमन्य होगा।

## 11- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 2- ऑनलाइन आवेदन सबिमट हो जाने के पश्चात्, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा ! उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा ! अतः रिकस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबिमट करते समय सभी सूचनाये सही-सही भरें ! गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो अपलोड न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ! अतः गलत जेंडर न भरे और न ही गलत फोटो अपलोड करें ! ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएं अंतिम है इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं हैं ! अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें !
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पृष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 7- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 8- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अई नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी। इस सम्बन्ध में आयोग में निर्णय अंतिम होगा।

- 9- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है।
- 10- <u>आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।</u>
- 11- नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबिमट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता/अर्हताएँ (शैक्षिक व अन्य) नहीं रखते हैं वे प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित वांछित अनिवार्य अर्हताएं ही पात्रता विचारण हेतु स्वीकार की जाएँगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी कोई भी योग्यता (अनिवार्य अथवा अधिमानी) पात्रता विचारण हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पित या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के Homepage पर उपलब्ध FAQ के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 16- अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही "सबमिट" स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
- 17 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबिमट" किए जाने की अंतिम तिथि 08-08-2019 है।

अक्षेत्र १०००। असिवन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ I

#### परिशिष्ट-8

#### उ०प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रं	ते / श्रीभती / कुमारी	जहसीत	सुपुत्र/सुपुत्री श्री
जिला		गर की संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश)	जाति के ध्यक्ति है जिसे संविधान
श्री / श्रीमती / कुमारी		तथा अथवा उनका परिवार उत्तर	प्रदेश के
ग्राम में सामान्यता	तहसील	नगर	
	46(1) 61		
स्थान FIDS		हरताक्षर	Prince America and Marie Decirity
दिनांक		पूरा नाम	
मुहर		पद का	नाम
	<b>ગિ</b> ભાદિ	कारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्	ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार /
and the second		अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई	हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी
<u> </u>	उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा	वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र	
प्रभाणित किया जाता है कि श्र	ो / श्रीमतो / कुमारी		सुप्त्र / सुप्त्री श्री
निवासी ग्राम	तहसील	के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोव	जिला
जन जातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिय	वे आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासं	illa) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता	। प्राप्त है।
(जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुः प्रतिरथापित किया गया है एवं जो उत्तर अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी हैं	सूचित जातियां, अनुसूचित जन जाति प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता	पूर्वोक्त अधिनियम् ायों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्ष में, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछ -पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के दि त छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।	ण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा इंडे यर्गो के लिये आरक्षण) (संशोधन) त्रये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये
श्री/श्रीमती/कुगारी तहसील नगर	जिला ठ	था/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश में सामान्यतया रहता है।	के ग्राम
रथान			
दिनांक		पूरा नाम	1
मृहर		पद का	नाम
o.	ਹਿਕ	विकारी/अतिरिक्त जिलाविकारी/सिटी मण्डि	इस्टेट / परगना भजिस्टेट / तहसीलदार

#### उ०प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

#### CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certifica	ate No	
DISABI	LITY CERTIFICATE	
ered Spire	This is certified that Shri/Smt./Kum	
Son/Wif	e/Daughter of Shriage	
		is suffering from permanent disability of
following	g category. - Hann to the troop of the charge technology of the technology of the control of the control of the control of	
Α.	Locomotor of cerebral palsy:	
	(i) BL-Both legs affected but not arms.	
	(ii) BA-Both arms affected	
	(a) Impaired reach	
	(b) Weakness of grip	and the first field was a second of
	(iii) BLA-Both legs and both arms affected	
	(iv) OL-One leg affected (right or left)	
	(a) Impaired reach	
ti e	(b) Weakness of grip	
	(c) Ataxic	
	(v) OA-One arm affected	
e Selection	(a) Impaired reach	
e Descrip	(b) Weakness of grip	
	(c) Ataxic	
	(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or st	
	(vii) MW-Musculer weakness and limited ph	ysical endurance.
В	Blindness or Low Vision:	
	(i) B-Blind	
·	(ii) PB-Partialy Blind	
C.	Hearing Impairment:	
	(i) D-Deaf	
	(ii) PD-Partialy Deaf	
	(Delete the category whichever is not applicable)	:
2. recomm	This condition is progressive/non-progressive/like	≘ly to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is no year months.
3.	Percentage of disability in his/her case is	·
4.		meets the following physical requirements discharge o
his/her		V. 191
(i) 	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

<ul><li>(xi) RW-can perform work by reading and writing</li></ul>	Yes/No	
(Dr)	(Dr)	(Dr)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		• ,
		Medical Superintendent/ CMO/HQ
Strike out which is not applicable.	e. Jan I. Bell Berner er kokonomikaria eta eta eta eta eta eta eta eta eta et	Hospital (with seal)
	•	
उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम से	नानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-प	<u>े</u> 'कार्टा के कार्टी के किया है। ज
प्रमाणित किया जाता है कि औ / श्रीमती / कमारी	हिना <u>सी</u>	
नहस्राल नगर	Carrer .	
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम संनानिया के आ सेनानी है और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रिक) प्राक्यनों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम संनानी)	श्रंत और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनिक	HU 4002 ak ar <del>rana arasima abam</del>
हस्ताक्षर		**************************************
स्थान	harana kalendaran baran kalendaran baran bar	***************************************
दिनाक		कारी
	and the state of the second section of	
	सील ,	
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्र	माण-पत्र जो उ०प्र० के मूल निवासी	₹
	1983—कार्गिक—2 दिनांक 28 नवचर, 1985	•
	व के फार्म - 1 से 4	
	प्रारूप — 1	
		ाडी के तिये।
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा ∕ खेल में अपने देश की ओर		
(मान्यता प्राप्त भीड़ा/ खेल में अपने देश की ओर सम्यन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/ राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र		
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कमारी	नाम	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुमारी पुरा पता ने दिनांक	नाम	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुभारी पुश पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कृद का ना	नाम आत्मज / पत्नो / आत्मजा श्री से विनांक तक म) की प्रतियोगिता / टूर्नांक्ट में देश की ओर से भ	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/जुभारी पुरा पता ने दिनांक आयोजित की झरा उक्त प्रतियोगिता/दूनोमेन्ट में	नाम	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी (स्थान का नाम) में ग्राम लिया।
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुभारी पुश पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कृद का ना	नाम	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी (स्थान का नाम) में ग्राम लिया।
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/जुभारी पुरा पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कृद का ना उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूनोमेन्ट में यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ	नाम	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी (स्थान का नाम) में ग्राम लिया।
सम्यभित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुमारी पुरा पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कृद का ना उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूनमंन्ट में यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(वहाँ आधार पर दिया यथा है।	नाम  आलाज / पत्नी / आत्मजा श्री  से दिनांक तक  में) की प्रतियोगिता / दूर्नांमन्द में देश की ओर से १ स्थान प्रान्त किया गया। संस्था का नाम दिया जाये)	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदां पर निवासी (स्थान का नाम) में ग्राम लिया। में उपलब्ध रिकार्ड के
सम्यचित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुमारी पुरा पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कूद का ना उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूनांमेन्ट में यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(वहाँ आधार पर दिया गया है।	नाम  अालाज / पत्नी / आरमणा श्री  से दिनांक तक म) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भ स्थान प्राप्त किया गया । संस्था का नाम दिया जाये)  हस्ताक्षर	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर निवासी (स्थान का नाम) में गण लिया। में उपलब्ध रिकार्ड के
सम्यचित खेल की राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीनती/कुमारी पुरा पता ने दिनांक आयोजित (क्रीडा/खेल-कूद का ना उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/दूनांमेन्ट में यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फंडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(वहाँ आधार पर दिया गया है।	नाम  अालाज / पत्नी / आरमणा श्री  से दिनांक तक म) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भ स्थान प्राप्त किया गया । संस्था का नाम दिया जाये)  हस्ताक्षर	. राज्य सरकार की सेवाओं / पदां पर निवासी (स्थान का नाम) में ग्राम लिया। में उपलब्ध रिकार्ड के

नीट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फंडरेशन√ नेशनल ऐसीलिएशन के समिव द्वारा व्यक्तिगत कप से किये गये हस्ताक्षर हॉमे पर ही मान्य होगा।

मुहर .....

	प्राक्तप2		••
		योगिता में माग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)	3 S 5
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिए खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र	शन का नाम)	राज्य सरकार की संवाओं/पदों पर	नियुक्ति के लिए कुशल
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ने दिनांक			
and the state of the same of t	७नक टाम क हारा <i>७क्त प्रातय</i> ग्ञमता⊅द्ना	ामन्द मरथा	न प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ य	म नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर (	देया गया है।	
स्थान		हरताक्षर	
दिनांक		नाम्	
kaan jalidha mika keese keese keese ka ta		पद	
		संस्था का नाम	******************
		पता	/·····································
		मुहर	***************************************
नोटः यह प्रमाण-पञ्च प्रदेशीय खेल-कृद संघ कं स	ाचिय द्वारा व्यक्तिमत रूप से किथे गये हरू	ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।	
production and the second		tagen Shaaaaagaaaa	
	प्रारूप–3		. A.
(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अप	ने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तीवेश्वविद्य	गल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी वं औं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलार्रि	ं लिये)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी नाम) विश्वानिद्यालय की (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तविश्ववि विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके दीन ऑफ स्पोर्टस अथवा इंघार्ज खेल कूद	क्या विद्याया न दिनाक विद्यालय	ं	तक
स्थान		हस्ताक्षर	the-fibration regar
दिनाक		नाम	
<b>q</b>			
तोटः यह प्रमाण-पत्र विस्वविद्यालय के डीन ऑफ र	मोर्जिय का नंतार्थ कोच जन अस जातिका	मुहर	
	प्राक्षा-4	व क्रम सं क्रियं गय हरताहार हान पर हा मान	व हागा ।
् (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खें	ल में अपने स्कूल की ओर से सध्ट्रीय खेल-	−खंद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के दि <i>ते</i> ।	
		राज्य स्तर की त्तेवाओं	/ वदों पर निथुक्ति के
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमर	ी / कुमारीआ	त्मज् / पत्नो / आत्मुजा श्री	. निवासी (पूरा पता)
विनांक तक	(स्थान का नाम) म आयोक्ति	त स्कर्न के हेपास्टर केटर की	
(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/दूर्नाने में स्थान प्राप्त किया गया।	न्ट में स्कूल की व	ओर से भाग लिया। उनके टीन के द्वारा उक्त	। प्रतियोगिता / टूर्नाभेन्ट
धह प्रभाण~पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन	त/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर	दिया गया है।	
स्थान		हस्ताक्षर	***************************************
वेनाक		नाम	Medications
		पद ,	Children Darbeite. 1770s
		संस्था का नाम	
		पता	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

नोटः यह प्रमाण-एव निर्देशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिर्देशक डाइरेक्ट्रंट ऑफ पब्लिक इन्न्ट्रक्शन्त/शिक्षा \_\_\_\_\_\_\_\_ हारा व्यक्तिगत रूप रो हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

उत्तर प्रदेश लोक संवा (शारीरिक रूप से विकलांग, रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सेनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
आम- नगर-
जिला- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग
रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
पुत्र पुत्री पीत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पीत्री (पुत्र
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 199
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
के आश्रित हैं।
रथान :
दिनाक: पूरा नाम
प्रदेश के प्राप्त के अने के किया किया किया किया किया क 
<b>∃ex</b>

जिलाधिकारी (सील)